वर्ष 1975 में कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम समुद्र में शिनान द्वीपों के पास, मछुआरों के जाल में मछलियों के साथ-साथ चीन में बनी सरैमिक (चीनी मिट्टी) की 6 कलाकृतियां भी फंसकर ऊपर आ गईं। अनायास हुई इस खोज ने 14 वीं सदी में डूबे एक जहाज की खोज का मार्गप्रशस्त किया, जिसमें सरैमिक की कलाकृतियां व अन्य कीमती वस्तुओं का जखीरा था। शिप में लदा अधिकांश सामान लगभग साबुत स्थिति में था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस डूबे हुए जहाज को अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन व मूल्यवान "शिप रैक" करार दिया। वर्ष 1976 से 1984 तक कोरिया के गोताखोर इस मध्यकालीन चीनी जहाज से कलाकृतियां निकालते रहे। हालांकि, जहाज पानी में सिर्फ 20 मीटर नीचे ही था, लेकिन तेज धाराओं और देखने में आ रही मुश्किल के कारण खोजबीन का काम ना केवल कठिन था बल्कि तब ही हो सकता था जब समुद्र शांत हो, और दिन में मात्र एक घंटे ही यह संभव था। पानी के अंदर घने अंधेरे में काम करते हुए 20,000 से ज्यादा सरैमिक कलाकृतियां, 200 मैटल कलाकृतियां, दो दर्जन पत्थर से बनी कृतियां और 28 टन चीनी सिक्के निकाले गए। इसके अलावा लाल चंदन से बनी कई चीजें, और रोजमर्रा की कई वस्तुएं भी जहाज से मिलीं। जहाज को तोड़कर और पेंदे को उठाकर सारा सामान बाहर निकाला गया। अनुमान है कि, जहाज 32 मीटर लम्बा था और 200 टन तक भार ढो सकता था। इतनी महत्वपूर्ण खोज के बाद भी जहाज की पहचान अज्ञात है और यह भी पता नहीं है कि यह किस बंदरगाह से रवाना हुआ था। संभावना है कि, यह जहाज चीन से रवाना हुआ था और जापान जा रहा था। जहाज पर लकड़ी से बने टैग मिले हैं जिन पर स्याही से जापानी मंदिरों, जैसे क्योटो के तोफूकूजी मंदिर और हाकाता के हाकोसाकी मंदिर, के नाम लिखे हैं। इसके अलावा समुद्र मार्ग से व्यापार करने वालों व भिक्षुकों के नाम भी टैग्स पर लिखे हैं। इससे संकेत मिलता है कि यह जहाज जापान के हाकाता बंदरगाह जा रहा था। डूबे हुए जहाज से प्राप्त कलाकृतियां व जहाज का मॉडल दक्षिण कोरिया के नैशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम कल्चरल हैरिटेज में प्रदर्शित हैं।

सवर्ण निर्धनों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान बैंच को मंगलवार को बताया कि जनरल कैटेगरी की आबादी में से इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन्स (ई.डब्ल्यू.एस.) को दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण एक "सकारात्मक कार्रवाई" है और यह शिड्यूल्ड कास्ट्स (एस.टी.) व अदर बैकवर्ड क्लासेस (ओ.बी.सी.) के 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग है।

केन्द्र सरकार ने कहा कि संविधान के 103वें संशोधन के जरिए लाया गया ई.डब्ल्यु.एस. कोटा एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को दिए गए आरक्षण का अतिक्रमण नहीं करता, अत: इसे इस रूप में ना समझा जाए कि यह उनके लिए तय अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण से अधिक है।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) उदय उमेश ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस. रविन्द्र भट, बेला एम. पारदीवाला से युक्त एक संविधान बैंच को अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने बताया कि 103वें संविधान संशोधन का उद्देश्य जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सैगमैन्ट की करीब 18 करोड़ आबादी को लाभान्वित करना है। उनके निवेदन अधूरे रहे, लेकिन बुधवार को जारी रहेंगे।

- **एटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि, गरीब सवर्णों को दिया गया यह आरक्षण, एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. को दिये गये आरक्षण को कम नहीं करता, बल्कि शेष 50 प्रतिशत जनरल जनता को दिये गये अवसर में से काट कर दिया जायेगा।**
- **अतः सवर्ण गरीबों को दिया गया यह आरक्षण 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं करता।**

वेणुगोपाल ने कहा कि सिन्हा आयोग ने जहां ई.डब्ल्यु.एस. लोगों की संख्या 18 करोड़ मानी है, वहीं नीति आयोग ने मल्टीडायमैन्शनल पावर्टी इन्डैक्स ने उनकी संख्या 25.1 करोड़ बतायी है।

याचिकाकर्ताओं के तर्कों का जवाब देते हुए, जिनका कहना है कि ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी केस के निर्णय में तय 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से अधिक है, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा सजातीय समूह रखने वाले एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आरक्षण के लिए है और ई.डब्ल्यु.एस. जनरल कैटेगरी में से है। यह दोनों ही भिन्न हैं।

अटॉर्नी जनरल ने इस पर जोर दिया कि ई.डब्ल्यु.एस. का 10 प्रतिशत आरक्षण हिस्सा जनरल कैटेगरी के लिए बचे 50 प्रतिशत आरक्षण में से है तथा इसे एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के वर्तमान 50 प्रतिशत आरक्षण से जोड़कर ना देखा जाए।

इस तर्क का जिक्र करते हुए कि ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. के इसी तरह की इकोनॉमिकली वीकर केटेगरीज़ के लिए लागू नहीं होता, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. के आरक्षण में यह स्व-निहित है क्योंकि इसमें इस वर्ग के इकोनॉमिकली वीकट सैक्शन्स भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लेने के अलावा कई अतिरिक्त लाभ ले रहे हैं।

एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. और दूसरी तरफ ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण में अंतर स्पष्ट करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण एस.टी. व एस.सी. आरक्षण का विस्तार नहीं है, बल्कि यह एक भिन्न कैटेगरी है, जो एक समयावधि में उभरकर सामने आयी है।

अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल के अलावा, चौथे दिन दिनभर चली सुनवाई में, याचिकाकर्ता एन.जी.ओ. "यूथ फॉर इक्वालिटी" का पक्ष भी सुनने को मिला। वह ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण के पक्ष में तो है, लेकिन जनरल कैटेगरी की शेष 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण में से इसे लेने के खिलाफ है। उसने कहा कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है।

ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण का विरोध कर रही तमिलनाडू सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शेखर नाफाडे ने तर्क दिया कि आरक्षण देने में आर्थिक मापदण्ड अपने आप में एक वर्गीकरण नहीं हो सकता क्योंकि यदि आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार माना जाता है तो फिर वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी केस में नौ जजों की बैंच के फैसले पर दोबारा से चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी।

संविधान बैंच को यह बताते हुए कि कोर्ट के विचार के लिए मुद्दे की जड़ यह है कि क्या हम सवर्ण जातियों को आरक्षण देने के बारे में सोच सकते हैं, वोफाडे न कहा कि यह हमें संविधान के अनुच्छेद 14 जोकि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, के अन्तर्गत समानता के अधिकार की एक नई समझ की ओर ले जाएगा और ऐसी स्थिति में वर्ष 1973 के केशवानंद भारती केस में दिए गए शीर्ष अदालत के निर्णय पर फिर से विचार करने की जरुरत होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि कोर्ट ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण की मंजूरी के मानदण्डों पर निर्णय नहीं कर रही है, बल्कि आर्थिक आधार पर किए गए आरक्षण के विधिक और संवैधानिक सिद्धांत पर विचार कर रही है।

जब एक वकील ने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि क्या 50 हजार रूपए महीने की आय प्राप्त करने वाले या 4 एकड़ कृषि भूमि अथवा शहरी क्षेत्रों में 1 हजार वर्ग मीटर के प्लाट के मालिक को इकोनॉमिकली वीकर पृष्ठभूमि का माना जा सकता है, तब सी.जे.आई. ने यह बात कही।

चीतों को कूनो नैशनल पार्क में बसाने को लेकर विवाद गहराया

विश्नोई समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया

जोधपुर, 20 सितम्बर (कासं)। देश में लुप्त हुए चीतों को मध्यप्रदेश के कूनो नैशनल पार्क में बसाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इन 8 चीतों का शिकार बनने के लिए

- **चीतों के लिए मध्य प्रदेश के ही राजगढ़ वन मंडल से 181 चीतल कूनो नैशनल पार्क भेजे गए हैं, इस पर विश्नोई समाज ने गहरी नाराजगी जताई है और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है।**

मध्यप्रदेश के राजगढ़ वन मंडल से 181 चीतल कूनो भेजे गए हैं। इस फैसले से वन्यजीव रक्षा के लिए पहचान रखने वाला बिश्नोई समाज आहत है। समाज के लोगों ने आज जिला कलैक्टर को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में, कूनो नैशनल पार्क में चीतों का भोजन बनाने के लिए चीतल भेजने पर विरोध जताया गया है। जिला कलैक्टर को राष्ट्रपति के नाम से समाज की तरफ से यह ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में समाज के कई लोग मौजूद थे।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को मध्यप्रदेश में श्योपुर के कूनो नैशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा था।

राजगढ़ वन मंडल के वन परिक्षेत्र नरसिंहगढ़ के अधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि वन क्षेत्र से 181 चीतल कूनो भेजे गए हैं। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने प्रधानमंत्री और वन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर अफ्रीका से आए चीतों को चीतल नहीं परोसने की अपील की।

मोहन भागवत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ग्रुप के साथ मीटिंग की थी।

आज एक घंटे चली मीटिंग में, भागवत ने विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें शामिल प्रमुख मुद्दे थे- ज्ञानवापी विवाद, नफरत जन्य अपराध तथा जनसंख्या-नियंत्रण। मीटिंग में शामिल हुये एक व्यक्ति ने कहा कि इस मीटिंग का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय से सम्बंधित मुद्दों पर जोर देना था। बताया जाता है कि आर.एस.एस. प्रमुख ने मीटिंग में अपने विचार रखते समय, मीटिंग में मौजूद लोगों को "शिवलिंग" सम्बंधी अपनी टिप्पणी के बारे में भी स्मरण दिलाया तथा कहा कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों को वह टिप्पणी आगे बढ़ानी चाहिये थी जिससे कि आर.एस.एस. और मुस्लिम समुदाय के बीच की खाई पर पुल बनाने की दिशा में और आगे बढ़ा जा सकता।

टाइगर एस-24 जमुवारामगढ़ में दिखा, सरिस्का प्रशासन की चिंता कुछ कम

करीब एक महीने से सरिस्का में नजर नहीं आया था, अब पहले पगमार्क फिर कैमरा ट्रैप में दिखाई दिया

अलवर, 20 सितम्बर। सरिस्का का टाइगर, एसटी -24 जमुवारामगढ़ के जंगलों में है। चौबीस दिन पहले टाइगर के पगमार्क मिले थे। अब करीब 28 दिन बाद टाइगर कैमरा ट्रैप में नजर आया है, जिससे सरिस्का प्रशासन की चिंता कुछ कम हुई है। ज्ञातव्य है कि, काफी दिनों तक टाइगर का पता नहीं चला था।

अब कैमरा में ट्रैप होने के बाद बड़ी राहत मिली है। असल में सरिस्का से दो-तीन टाइगर गायब हो चुके हैं, जिनका पता ही नहीं चला है। इसी कारण केवल दो वर्ष के टाइगर, एस.टी. 24 के गायब होने पर अधिक चिंता हो गई थी।

सरिस्का के टहला क्षेत्र से टाइगर एसटी 24 जमुवारामगढ़ के जंगलों में पहुंच गया। करीब 25 दिनों से टाइगर वहीं है। जब सरिस्का में टाइगर के पगमार्क नहीं मिले तो उसकी तलाश शुरू हुई। इसके बाद जमुआरामगढ़ में पगमार्क मिले। लेकिन, अब टाइगर के वहां होने की पुष्टी कैमरा ट्रैप से हो गई है।

टाइगर एसटी -24, बाघिन एसटी 12 का शावक है। जिसकी उम्र करीब 2 साल है। दो महीने पहले ही इसने अपनी टैरिटरी बनानी शुरू की थी। पहले यह टहला आया। फिर अजबगढ़ की तरफ पहुंचा। वहां से होता हुआ जमुवारामगढ़ पहुंचा है। जबकि इस टाइगर की मां, बाघिन एसटी -12 टैरिटरी तालवृक्ष के जंगलों की तरफ रही है। वहां से टाइगर एस.टी. 24 करीब 20 महीने के बाद टहला की तरफ निकल गया, फिर आगे बढ़ते हुए वह जमुवारामगढ़ पहुंचा है।

बाघ एसटी 24 के पगमार्क सबसे पहले जमवारामगढ़ के झोल नाका स्थित पापड़ गांव के आसपास मिले थे। वहीं आसपास में कैमरा ट्रैप में एस.टी. 24 नजर आया है। सरिस्का के उप वन संरक्षक डीपी जागावत ने बताया कि, फरवरी माह में बाघ एसटी 24 व 25 अजबगढ़ रेंज के जंगल में पहुंच गए थे।

कोविड का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में महाराष्ट्र और हरियाणा में दो-दो तथा राजस्थान, गुजरात, यू.पी., उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल में एक-एक मौत हुई। इससे देश में अब तक इस बीमारी से मरे लोगों की संख्या 5 लाख 28 हजार 370 हो गई है।

देश में अब तक 4 करोड़, 45 लाख 43 हजार 84 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से 4 करोड़ 39 लाख 67 हजार 340 रिकवर हो चुके हैं। दैनिक पॉज़िटिविटी रेट कम होकर 1.37 प्रतिशत हो गई है, जबकि साप्ताहिक पॉज़िटिविटी रेट 1.81 प्रतिशत है। कोविड-19 के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक 216.83 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 10.10 लाख वैक्सीन्स लगाई गईं। अब तक कुल 89.20 करोड़ टैस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से भी 2.95 लाख टैस्ट पिछले घंटों में किया गया।

नीतीश ने तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंपने के संकेत दिये

- **नीतीश ने तेजस्वी यादव की ओर हाथ से इशारा करते हुये कहा कि, मैं अपने लिए नहीं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, इन्हें आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ।**

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के विरोध में विपक्ष को एकजुट करने के कड़े प्रयास में जुटे नीतीश कुमार जल्द ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दिए। उन्होंने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि, मैं अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए काम कर रहा हूं और इन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश ने साफ किया है कि उनकी इच्छा अब राजनीति में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की है।

सी.एम. नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कि वे 2024 में बीजेपी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं ताकि चुनाव में बड़ी सफलता हासिल हो। पी.एम. पद की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश ने कहा कि हम सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, इसमें अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उनके पास में खड़े तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए नीतीश बोले कि हर चीज में इन लोगों को आगे बढ़ाना है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।

यू.पी. के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास पर मुख्यमंत्री नीतीश ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं यह सब बेकार की बात है। हमको आश्चर्य भी होता है हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। कौन क्या बोलता है उस पर हम ध्यान नहीं देते।

'हिजाब कुछ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार के हिजाब विवाद जैसी गतिविधियों में अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर धकेलने की प्रवृति नजर आती है।

उन्होंने कहा कि भारत का निर्माण उदार परम्पराओं व धार्मिक विश्वास पर हुआ है। आज जो प्रस्ताव पारित उसे यूनीफॉर्म से सम्बंधित बता रहे हैं। लेकिन असल में इसका उद्देश्य अलग है। इसका उद्देश्य यह है कि धार्मिक समुदाय से कहा जाए कि आपको अपनी आस्था दिखाने का हक नहीं है आप अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते आपको वही करना जो मैं कहूँगा।

दवे ने कहा कृपया यह भी नोट कीजिए कि, हिजाब पहनकर हमने किसी भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। हिजाब हमारी पहचान है। "उन्होंने संविधान की उदार व्याख्या हुई है प्रतिबंधात्मक स्वरुप में नहीं क्यों अनुच्छेद 19 ओर 21 का दायरा बेहद विस्तृत है।

दवे ने सवाल दागा कि "क्या हिजाब पहनना देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा है?"

पश्चिमी देशों में एक सप्ताह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्या प्रभाव पड़ सकता है खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि इस चर्चा का रूस के रुख पर विपरीत असर पड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की विपरीत प्रतिक्रिया को देखते हुए रूस ज्यादा प्रतिफल हासिल करने की स्थिति में नहीं है।

प्रेम, जंग और राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं होता और रूस निश्चित रूप से मोदी के कठोर बयान की कीमत वसूलना चाहेगा। रूस के द्वारा आयोजित और टी.वी. पर प्रसारित इंटरव्यु में रूस को भारत से तगड़े समर्थन की उम्मीद थी, पर यह दांव उलटा पड़ गया।

रूसी राष्ट्रपति मोदी के स्वागत की प्रतीक्षा में थे तथा उनकी एकांतिक मीटिंग शुरु हो गई तथा प्रारम्भिक बयान ने अपना प्रभाव दिखाया तथा बातचीत का अपेक्षित एवं इच्छित माहौल बन गया। मोदी के तुरंत बाद बोले पुतिन ने भारत के रुख की सराहना की तथा रूस की स्थिति को समझाने की कोशिश की।

कम से कम, फिलहाल तो भारत एक बहुत अच्छी स्थिति में है। उसे ऊर्जा पदार्थों की भरपूर सप्लाई मिल रही है, जो इस समय देश की एक बड़ी जरूरत भी है। इन पदार्थों का बड़ा हिस्सा आयातित है। दो बड़े उत्पादकों- रूस और सऊदी अरब में इन्हें भारत भेजने की होड़ लगी हुई है।

भारत की जरूरतें बहुत बड़ी भी हैं तथा इसलिये वह सप्लायर के व्यवहार पर सकारात्मक असर डालने की स्थिति में है। ऊर्जा के उपयोग में ज्यादा लिप्त होना तथा इस पर बढ़ती निर्भरता का परिणाम आगे चलकर विनाशकारी साबित हो सकता है।

जर्मनी से ज्यादा प्रदर्शन और कोई देश नहीं करता तथा उसने रूसी गैस और तेल की सतत सप्लाई सस्ती कीमत पर करने में यकीन रखा है। जर्मनी के सामने इस समय ऊर्जा का गंभीर संकट है तथा ऊर्जा की यह कमी सर्दियों में और ज्यादा पीड़ा देने वाली हो जायेगी।

अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत को नया माहौल बनाना चाहिये तथा एशिया एवं अफ्रीका के मध्यम स्तर के देशों के बीच जाल फैंककर अपना स्वयं का सपोर्ट बेस विकसित करना चाहिये।

26 को पर्चा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्वाचकों के नाम हैं जो 17 अक्टूबर को होने वाले मतदान में वोट देंगे।

मंगलवार को कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक बार फिर ट्वीट किया, संगठन के चुनाव में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। नामांकन भरने के लिए आपको राहुल जी या सोनिया जी की अनुमति की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस सांसद शशि थरुर, जो सोमवार को सोनिया गांधी से मिले थे, को भी सोनिया ने कहा है कि उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की है तो लड़ सकते हैं। इसके लिए किसी की अनुमति की जरुरत नहीं है।

इधर संकेत है कि गहलोत 26 सितम्बर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

म्यांमार में 300 भारतीय बंधक बनाये गये

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। म्यांमार में 300 भारतीयों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। इनमें से 60 लोग तमिलनाडु के हैं। जानकारी के मुताबिक इन लोगों को म्यांमार के म्यावडी में एक गैंग ने बंधक बनाया है। इन लोगों को यहां पर साइबर क्राइम करने पर मजबूर किया जा रहा है। यहां पर कई अन्य देशों के लोगों को भी बंधक बनाकर रखा गया है। बताया जाता है इन सभी को नौकरी झांसा देकर ले जाया गया था।

बताया जाता है कि सभी पीड़ितों को जिस म्यावडी में बंधक बनाया गया है, वह इलाका म्यांमार सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यह इलाका एथनिक आर्म्ड ग्रुप के दबदबे वाला है। बंधक बनाए गए कुछ लोगों में अपने परिवार को संदेश भेजे थे।

हाई कोर्ट में कोटपूतली नगर परिषद द्वारा सामूहिक तोड़-फोड़ की सुनवाई 23 को

अदालत ने नगर परिषद के वकील को कहा है कि, वह इस मामले का पूरा ब्यौरा व दस्तावेज अगली तारीख को लेकर आएं

जयपुर, 20 सितम्बर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटपूतली नगर परिषद द्वारा सरदार विद्यालय रोड के आसपास सामूहिक तोड़-फोड़ के संबंध में न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने नगर परिषद के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस मामले का समस्त रिकॉर्ड सुनवाई की अगली तारीख को पेश करें। इसके साथ ही अदालत ने आज 43 मामलों में से उन मामलों, जिनमें नगर परिषद द्वारा इमारतें तोड़ दी गई हैं, की सुनवाई 23 सितम्बर को तय की है और उन मामलों में जहां नगर परिषद द्वारा पट्टा आवंटित करने के बाद पट्टा रद्द करने के लिए नोटिस दिया गया, उन मामलों की सुनवाई 29 सितम्बर को तय की है।

नगर परिषद की ओर से सुनवाई के दौरान अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिये फिर से दो सप्ताह का समय मांगा गया है, जिस पर अदालत ने काफी नाराजगी जताई क्योंकि इस मामले की पिछली दो सुनवाई में नगर परिषद ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया था।

उल्लेखनीय है कि 15 सितम्बर को भी न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड के समक्ष नगर परिषद की तोड़-फोड़ के संबंध में गोविन्द नारायण शर्मा द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी क्योंकि हाईकोर्ट के ही फरवरी के आदेश के अनुरूप नगर परिषद ने याचिकाकर्ता को अपनी आपत्ति दायर करने के लिये नोटिस नहीं दिया था और बिना नोटिस ही तोड़-फोड़ की कार्रवाई की थी।

- **अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि, नगर परिषद के वकील ने अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो और हफ्तों का समय मांगा है, जबकि पिछली दो सुनवाई में भी नगर परिषद को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिये समय दिया गया था।**

इस मामले की सुनवाई के दौरान 15 सितम्बर को नगर परिषद ने जवाब प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को नोटिस देने के लिये अधिकारियों को भेजा था, परंतु मौके पर उनके साथ याचिकाकर्ता के मकान के बाहर उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और याचिकाकर्ता ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। जवाब में आगे कहा गया कि नगर परिषद के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की दुकान व मकान पर नोटिस चस्पा किया और 4 जुलाई को आपत्ति सुनने के लिये आमंत्रित किया। यहां गौर फरमाने की बात यह है कि नगर परिषद ने एक ही मामले में अपना जवाब प्रस्तुत किया है परंतु आज सुनवाई के लिये आये 40 से भी ज्यादा मामलों में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अटकलें लगाई जा रहीं हैं कि क्या नगर परिषद 50 से भी अधिक याचिकाकर्ताओं को नोटिस देने में असफल रही और वहां भी नोटिस चस्पा करना पड़ा? हैरानी की बात है कि पिछले कुछ महीनों से कोटपूतली में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है और कई बार कर्फ्यू भी लगाया गया है परंतु फिर भी नगर परिषद के अफसरों के साथ धक्का-मुक्की करने और नोटिस नहीं लेने के संबंध में किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की घटना सामने नहीं आई।

यू.एन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूर्ण माहौल रहने की संभावना है। यूक्रेन युद्ध, बढ़ता खाद्य एवं ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे मुद्दे छाए रह सकते हैं।

रूस, अमेरिका व यूरोपीय देशों में यूक्रेन को लेकर तनाव रहने की उम्मीद है और ताईवान और व्यापार के मसले पर चीन व अमेरिका आमने-सामने हो सकते हैं। पुतिन और शी ज़िनपिंग के भी शामिल होने की संभावना नहीं। अमेरिका व यूरोप न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर इरान पर दबाव डाल सकते हैं।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908